7

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को प्रदत्त मजदूरी का आकलन

रविन्द्र कुमार **डॉ. प्रवेश कुमार**

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.96-100
ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का हिमाचल प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का अध्ययन यह अध्ययन हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी और ऊना जिलों में मनरेगा के अंतर्गत दी जा रही मजदूरी के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य मजदूरी भुगतान की समयबद्धता, आय एवं व्यय में परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, तथा प्रवास पर योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के साथ-साथ वर्णनात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया। निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि योजना ने ग्रामीण जीवन स्तर, आय में वृद्धि और सामाजिक समावेशिता को प्रोत्साहित किया, विशेषकर चंबा और मंडी जिलों में इसका प्रभाव अधिक रहा। महिलाओं की निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक भागीदारी में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया। हालांकि, मजदूरी भुगतान में देरी और बाजार मजदूरी की तुलना में कम दरें प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अध्ययन नीतिगत सुधारों जैसे डिजिटल भुगतान, मजदूरी दरों में संशोधन और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर बल देता है।

मुख्य शब्द: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आजीविका सुरक्षा

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे 2005 में लागू किया गया और 2009 में इसके नाम को मनरेगा रखा गया, भारत की सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी

सामाजिक कल्याण योजना है। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण भारत के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आजीविका सुरक्षा प्रदान करने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और सतत् विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू की गई।

हिमाचल प्रदेश में मनरेगा का क्रियान्वयन विविध भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बीच हुआ है। इसलिए इस अध्ययन का उद्देश्य न केवल मजदूरी के प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है, बल्कि यह समझना भी है कि किस प्रकार यह योजना ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर, सामाजिक संरचना, लैंगिक समावेशिता और स्थानीय रोजगार सृजन में योगदान करती है।

अध्ययन को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया गया। इस अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा, सरकारी रिपोर्ट्स, जनगणना आंकड़े और ऑनलाइन डेटाबेस (जैसे https://nrega.dord.gov.in) का समग्र उपयोग किया गया है।

मनरेगा की पृष्ठभूमि और विशेषताएं

मनरेगा ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित करता है। यह योजना ग्रामीण-शहरी असमानताओं को कम करने और विशेष रूप से अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। मुख्य विशेषताएं:

- कानूनी अधिकार: ग्रामीण वयस्कों को मांग पर 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता।
- मजदूरी समानता: पुरुष और महिला दोनों के लिए समान मजदूरी, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।
- विकेन्द्रीकृत योजना: ग्राम सभा परियोजनाओं का चयन और कार्यान्वयन, जिसमें कम से कम 50% कार्य शामिल।
- पारदर्शिता: सामाजिक लेखा परीक्षा, दीवार लेखन और प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित।
- वित्तपोषण: केंद्र सरकार अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 100% और सामग्री व कुशल श्रमिकों की लागत का 75% वहन करती है, शेष 25% राज्य सरकार।
- महिला सशक्तिकरण: कम से कम एक-तिहाई लाभार्थियों को महिलाएं होना अनिवार्य।

मनरेगा की इन विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा, बल्कि सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में भी योगदान करती है।

अध्ययन के उद्देश्य

- हिमाचल प्रदेश के तीन भिन्न भौगोलिक जिलों चंबा, मंडी एवं ऊना में मनरेगा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली मजदूरी के ग्रामीण परिवारों की आय, उपभोग व्यय और जीवन स्तर पर प्रभाव का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन।

- मनरेगा के माध्यम से महिला श्रमिकों की भागीदारी, निर्णयात्मक भूमिका, सामाजिक जागरूकता और आत्म-सशक्तिकरण के विविध आयामों का समग्र विश्लेषण।

- योजना के कार्यान्वयन से संबंधित संरचनात्मक पहलुओं विशेषतः मजदूरी भुगतान की समयबद्धता, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और प्रवास पर इसके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए नीति सुधार हेतु साक्ष्य-आधारित और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन क्षेत्र और शोध पद्धति

अध्ययन क्षेत्र:

हिमाचल प्रदेश के तीन जिले:

- चंबा (उच्च पहाड़ी)
- मंडी (मध्य पहाड़ी)
- ऊना (निम्न पहाड़ी)

प्रत्येक जिले से दो विकासखंड चुने गए और प्रत्येक विकासखंड से तीन ग्राम पंचायतें। यह क्षेत्र 350 मीटर से 2150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के विविध भौगोलिक, जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का समेकित रूप से उपयोग किया गया है। सैंपलिंग डिजाइन के तहत साधारण रैंडम सैंपलिंग विधि अपनाई गई, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। प्राथमिक डेटा नवंबर 2023 में प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा संरचित प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया। द्वितीयक डेटा विकासखंड विकास कार्यालय, जनगणना 2011 तथा वेबसाइट https://nrega.dord.gov.in जैसे स्रोतों से संकलित किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एक्सेल की सहायता से किया गया।

परिणाम और चर्चा

जागरूकता और कार्यान्वयन में उच्च स्तर की भागीदारी देखी गई। 96.6% उत्तरदाताओं को मनरेगा के बारे में जानकारी थी, जिसमें 98.7% ने ग्राम पंचायतों से जानकारी प्राप्त की। रोजगार अवधि के संदर्भ में 89% उत्तरदाताओं को 50-100 दिनों का रोजगार मिला। मजदूरी भुगतान में देरी की समस्या भी सामने आई, केवल 11.52% को 15 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त हुआ, जबकि 63.85% को एक महीने से अधिक समय बाद। आवास, परिवार संरचना और भूमि की स्थिति के आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश ग्रामीण अपने स्वयं के घरों में रहते हैं, और कृषि उनके आय के प्रमुख स्रोत में से एक है। आय में परिवर्तन के विश्लेषण से पता चला कि चंबा में आय वृद्धि सबसे अधिक (60.96%) रही, इसके बाद मंडी (52.28%) और ऊना (31.54%)। मजदूरी आय, व्यवसाय और अन्य स्रोतों में भी चंबा का प्रदर्शन बेहतर रहा। व्यय में परिवर्तन की तुलना से पता चला कि मंडी में कृषि और खाद्य उपभोग पर खर्च अधिक बढ़ा, जबकि चंबा में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में 97.36% उत्तरदाताओं ने मनरेगा के बाद घरेलू आय में वृद्धि की सूचना दी। 68.8% ने निर्णय लेने में भागीदारी में वृद्धि बताई, और 79.45% ने आत्मविश्वास में सुधार अनुभव किया। प्रवास पर प्रभाव के संदर्भ में 16.28% उत्तरदाताओं ने रोजगार की तलाश में प्रवास किया, जबकि 9.94% ने मनरेगा के कारण अपने क्षेत्र में लौटकर रोजगार प्राप्त किया।

मजदूरी की तुलना में 79.28% ने मनरेगा में काम करने को प्राथमिकता दी, और 55.18% ने मनरेगा की मजदूरी से संतुष्टि जताई, हालांकि 72.2% ने माना कि बाजार की मजदूरी अधिक है।

सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मनरेगा के प्रभाव को और अधिक प्रभावी एवं स्थायी बनाने के लिए कुछ नीतिगत और क्रियान्वयन स्तर पर सुधार आवश्यक हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- मजदूरी भुगतान की समयबद्धता में सुधार के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- बाजार दरों के अनुसार मनरेगा की मजदूरी दरों का संशोधन।
- बेरोजगारी भत्ता और 15-दिन के भुगतान नियम के बारे में जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों की पहुंच को बेहतर करना।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी और ऊना जिलों में किए गए इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण समुदायों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। योजना ने न केवल ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि की, बल्कि महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होने से पलायन की प्रवृत्ति में कमी आई। तथापि, मजदूरी भुगतान में विलंब और बाजार मजदूरी से कम दरें प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अतः डिजिटल भुगतान प्रणाली, मजदूरी दर संशोधन तथा जन-जागरूकता अभियानों को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

संदर्भ

- कोठारी, सी.आर. (2019) रिसर्च मेथोडोलॉजी: मेथड्स एंड टेक्निक्स, चौथा एडिशन, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (2025). *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना*, https://nrega.dord.gov.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) (2025). *मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी संबंधित मुद्दे*, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147246
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) (2025). *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आधार आधारित भुगतान प्रणाली*, https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2112199